

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्रीमती रमेश कुंवर वगैरहा,

बनाम

श्री भवानी सिंह वगैरहा,

काय बाबत :- धारा 88-53-188, RT ACT 1955

मुकदमा नम्बर :-236/2015

निर्वाह दिनांक :-31.05.2016

वादीगण की ओर से श्रीमती रमेश कुंवर वगैरहा की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री भवानी सिंह वगैरहा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.2016 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा कल्याणपुर की वर्तमान जमाबंदी संवत 2069-2072 के खाता संख्या 200 पर दर्ज वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 669/0.15, 684/0.06, 687/0.04, 688/0.93, 689/0.15, 690/0.50, 691/0.04, 894/0.48, 2139/690/0.14 व आराजी नंबर 2140/894/0.08 कुल कित्ता 10 रकबा 2.57 हेक्टेयर भूमि में वादीगण श्रीमती रमेश कुंवर पति श्री छत्तर सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी उर्फ राजकुमारी पति श्री श्यामसिंह, श्रीमती कैलाश कुंवर पति श्री प्रतापसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्री भवानी सिंह पिता स्व. रतनसिंह प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा तथा श्री नेपाल सिंह, श्री शिवसिंह, श्री रविन्द्र सिंह पिता स्व. श्री देवेन्द्र सिंह, श्रीमती पुनम कुंवर पति श्री केसर सिंह, श्रीमती दशरथ कुंवर पति स्व. श्री देवेन्द्रसिंह का 1/5 हिस्सा बराबर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 31.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शैलेश सुराणा)

(पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादीगण	प्रतिवादी		
	रूपया	रूपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	6.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील	4.00		
जोड़	11.00	जोड़	1.00